



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15122021-231883
CG-DL-E-15122021-231883

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4844]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943

No. 4844]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5225(अ).—निम्नलिखित दो अधिसूचनाएं केंद्रीय सरकार द्वारा भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की अनुसूची की क्रमशः क्र.सं. 72 और क्र.सं. 84 के सामने आने वाले एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और इंडियन एयरलाइन कॉर्पोरेशन को उक्त अधिनियम के उपबंधों के लागू होने के लिए जारी की गई थी, अर्थात्:-

(क) का.आ. 434, तारीख 1 फरवरी, 1962; और

(ख) का.आ. 272, तारीख 25 जनवरी, 1963;

और केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952(1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन यथापेक्षित बहुमत से कर्मचारियों के भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) के अधीन एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और इंडियन एयरलाइन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों की विद्यमान भविष्य निधि के स्वेच्छाया आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंतरण के लिए सहमत होने के पश्चात् उपरोक्त अधिसूचनाओं को विखंडित करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिसूचनाओं को भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) की धारा 8 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचनाओं के अधीन ऐसे विखंडन से पूर्व की गई किसी बात या किए गए किसी लोप के सिवाय विखंडित करती है, अर्थात्:-

(क) का.आ. 434, तारीख 1 फरवरी, 1962; और

(ख) का.आ. 272, तारीख 25 जनवरी, 1963;

2. यह अधिसूचना 1 जनवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर-11025/1/2016-एसएस-II (पीटी.1)]

विभा भल्ला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th December, 2021

S.O. 5225(E).— Whereas, the following two notifications were issued by the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), respectively, to apply the provisions of the said Act to the Air India International Corporation and the Indian Airlines Corporation, occurring respectively against serial number 72 and serial number 84 in the Schedule to the said Act, namely: —

(a) S.O. 434, dated the 1st February, 1962; and

(b) S.O. 272, dated the 25th January, 1963;

And whereas, after the majority of the employees having agreed, as required under sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), for transfer of the existing provident fund of the employees of the Air India International Corporation and the Indian Airlines Corporation under the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925), to the Employees' Provident Fund Organisation on voluntary basis, the Central Government has decided to rescind the aforesaid notifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 8 of the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby rescinds the said notifications, namely:-

(a) S.O. 434, dated the 1st February, 1962; and

(b) S.O. 272, dated the 25th January, 1963,

except as respects things done or omitted to be done before such rescission under the said notifications.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2022.

[F. No. R-11025/1/2016-SS-II (Pt.I)]

VIBHA BHALLA, Jt. Secy.